रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-12/2022/2004/22-2-2021-ई-14//2020

लखनऊ: दिनांक: 05 मई, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, महाराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकृपाल (बन्दी संख्या-149/17) पुत्र श्री राजबली, जो-मऊ पाकड़, थाना-महाराजगंज, जिला-महाराजगंज का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-248/1684 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302 के अधीन दिनांक 29.01.1985 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-07, गोरखपुर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.12.2016 द्वारा यथावत रखा गया, उक्त बंदी की पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी एवं आयु 53 वर्ष होने, 80 प्रतिशत विकलांगता, 03 वर्ष 11 माह 26 दिन की अपरिहार सजा 04 वर्ष 10 माह 14 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2022/2004(1)/22-2-2021 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, महाराजगंज।
3- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, महाराजगंज।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in